

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चूक
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प खालौषी

आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खालौषी व भू.अ.नि. खालौषी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूक / नायब तहसीलदार चूक की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामपुरा पट्टा तहसील चूक व जिला चूक की जमाबन्दी सम्वत् 2021-74 में खाता संख्या 122 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रामपुरा पट्टा खालौषी	122	अवगतुमा पुत्र फूलपाल हिस्सा पूर्ण जाति मेधवाल निवासी काजीसर हास आकार खालौषी जातेदार	अवगतुमा पुत्र फूलपाल हिस्सा पूर्ण जाति मेधवाल निवासी काजीसर हास आकार खालौषी जातेदार



(06/10/21)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर, चूक

दिनांक :- 06.10.2021

क्रमांक :- 47/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूक को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अवगतुमा पुत्र फूलपाल जाति मेधवाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। निवासी काजीसर हास आकार खालौषी तहसील चूक

787
09.10.2021

(06/10/21)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,